न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीनं अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 06/2019

अपीलार्थी– *बनाम* **उत्तरदाता–**

दिलावर खान उर्फ दिलबर खान
पुत्र नवाब खान जाति मुसलमान
निवासी नेगरड़ा तहसील शिव
जिला बाड़मेर

राजस्थान सरकार जरिये
जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.01.2019 जो सरकार बनाम दिलावर खां के प्रकरण सं. 62/2018 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18/12/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 62/2018 सरकार बनाम दिलावर खान/नवाब खान मे पारित निर्णय दिनांक 09.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक शिव श्री सवाईराम द्वारा दिनांक 14.06.2018 को अपीलार्थी दिलावर खान/नवाब खान की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान में उपभोक्ताओं द्वारा पोश मशीन में अंगुठा लगवाने की एवज में 20 से 50 रूपये जबवरन वसूली, केरोसीन नहीं दिया जाना, उचित मूल्य दुकान का मन मर्जी से संचालन, दुकान पर मूल्य एवं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्टॉक का प्रदर्शन नहीं किया जाना, स्टॉक के भौतिक सत्यापन में पोश मशीन अनुसार 2.5 क्वि. गेंहू कम पाया जाने की अनियमितताऐं पाई गई। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.06.2018 जारी किएव एवं प्रवर्तन निरीक्षक की जांच में पाई गई अनियमितताओं के लिए अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 09.07.2018 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.07.2018 पर प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2019 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.02.2019 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तबल किया एवं अपीलाधीन कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा केवल झूठी शिकायत के आधार पर प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच मे अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से रसद सामग्री वितरण मे अनियमितता बाबत राजनैतिक द्वेष के कारण

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत की गई हैं जबकि अपीलार्थी को प्राधिकार पत्र जारी करने से लगातार उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे कार्य सन्तोषप्रद रहा है। अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप से उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया गया है, जिसका स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर इत्यादि पूर्ण है। उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे अपीलार्थी की सेवा मे कभी कोई कमी नही रही है तथा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा शिकायत की जांच में अपीलार्थी से रंजीश रखने वाले शिकायतकर्ता के बयान लेखबद्ध कर एकतरफा रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अपीलार्थी की दुकान पर प्राप्त गेंहू, चीनी, केरोसीन व अन्य खाद्य सामग्री का समय–समय पर लाभार्थी परिवारों को उनकी मांग के अनुरूप वितरण किया गया हैं एवम अपने नाम से जारी उचित मूल्य की दुकान पूर्ण रूप से निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य किया गया हैं। खाद्य सामग्री की आपूर्ति कम होने के कारण जो उपभोक्ता जिस माह में राशन सामग्री लेने आया उसे उसी माह की राशन सामग्री का वितरण किया गया हैं जिसका राशनकार्ड व वितरण रजिस्टर में अंकन किया गया हैं तथा इस तथ्य की पुष्टि जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में की गई हैं। इसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना राजनैतिक द्वेषता से कुछ विरोधियों द्वारा झूठी एवं मनगढ़त शिकायत पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य हैं, लिहाजा अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा जांच की गई। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

द्वारा मौके पर प्रस्तुत शिकायत दस्तावेजों यथा राशनकार्ड की जांच मे शिकायत की पुष्टि हुई है। स्टॉक का पोश मशीन से भौतिक सत्यापन किये जाने पर 2.5 क्वि. गेंहू कम पाया गया एवं मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन नहीं किये जाने पर विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 8,11,14 एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा मौके पर पहुंच कर शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत राशनकार्डो की जांच की गई तथा मौके पर अपीलार्थी की दुकान पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। अपीलार्थी को अधिनस्थ कार्यालय की ओर से जारी प्राधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में उपभोक्ताओं द्वारा पोश मशीन में अंगुठा लगवाने की एवज में 20 से 50 रूपये जबवरन वसूली, केरोसीन नहीं दिया जाना, उचित मूल्य दुकान का मन मर्जी से संचालन, दुकान पर मूल्य एवं

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्टॉक का प्रदर्शन नहीं किया जाना, स्टॉक के भौतिक सत्यापन में पोश मशीन अनुसार 2.5 क्वि. गेंहू कम पाया जाने की अनियमितताऐं पाये जाने का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई। इस पर अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 24.07.2018 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया कि उभोक्ताओं से पोश मशीन पर अंगुठा लगाने की एवज में 20 से 50 रूपये वसूल करने की बात सरासर गलत है, केरोसनी का नियमित वितरण किया जा रहा है, उचित मूल्य दुकान हमेशा खुली रहती है तथा उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व मूल्य का प्रदर्शन नियमित रूप से बोर्ड पर किया जा रहा है। अपीलार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं मानते हुए अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ कार्यालय एवं इस न्यायालय के समक्ष वक्त निरीक्षण कम पाये गये गेंहू के 2.5 क्वि. स्टॉक के बारे में बताया हैं कि गेंहू उचित मूल्य दुकान के आंगन में बिखरे पड़े थे जिसका जांच अधिकारी द्वारा आकलन नहीं किया गया। चुंकि जांच अधिकारी द्वारा मौके पर शिकायतकर्तागण एवं अपीलार्थी की मौजूदगी में जांच की गई हैं ऐसे में 2.5 क्वि. गेंहू आंगन में बिखरे होने को सत्यापन में सम्मिलित नहीं किये जाने का तथ्य मानने योग्य कतई नही हैं तथा इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा कम पाये गये स्टॉक का प्रस्तुत कारण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकार अधिनस्थ कार्यालय एवं इस न्यायालय के समक्ष मनगढ़त तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह करने का प्रयास किया गया हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं की अन्य शिकायत के बारे में भी ऐसा कोई ठोस आधार प्रकट नहीं किया गया है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेशण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2019 यथावत बहाल रखा जाता हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर